न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2019/95

1. केशूराम पुत्र मोडूराम
2. महावीर पुत्र मोडूराम जाति रेगर निवासी खिंयेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादीगण

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र मोडूराम जाति रेगर निवासी खिंयेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 207/53 आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री श्यामदीन पड़िहार वकील वादी।
2. श्री मोहम्मद शब्बीर, वकील प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज

–:निर्णयः–

दिनांक :– 29.08.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88,92ए, 207/53 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण 1 व 2 के खातेदारी संयुक्त खाते में पेतृक जोत रोही मौजा शरहबिछरवास खसरा नम्बर 1 में 38.08 बीघा खसरा नम्बर 2/1 में 38.08 बीघा हस्ब आदेश तहसीलदार महोदय कमांक 26 दिनांक 18.05.2015 के आपसी सहमति से खाता व लगान का विभाजन स्वीकार किया गया था। तथा नामान्तरण की संख्या 250 दिनांक 18.05.2015 से अमलदरामद कर दिया गया। वादी संख्या 1 का खसरा नम्बर 1/1 में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

25.12 बीघा लगान 7.56 रूपये, वादी संख्या महावीर के खसरा नम्बर 1/2 का 12.16 बीघा और 2/1 का 12.16 बीघा व प्रतिवादी पप्पूराम पुत्र मोडाराम के खसरा नम्बर 2/6 तादादी 25.12 बीघा मय लगान के विभाजन स्वीकार कर अलग–अलग खाते दर्ज किये जा चुके हैं। अब संयुक्त खाता नहीं रहा है। परंतु वर्तमान रिकार्ड सैटलमेंट का सम्वत 2072–75 तक जमाबंदी में खाता संख्या 13 में वादी व प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। इसके आधार पर जमाबंदी तैयार करते समय नामान्तरकरण का तहरीर के समय नोट अंकित करना होते हुए भी कोई नोट खाता संख्या 13 के विशेष कॉलम नहीं किया गया है। इस प्रकार विभाजित खाता को फिर से संयुक्त खाते में दर्ज करना भारी भूल है व अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही तथा अवमानना है। सहमति के अंकन को किसी भी समय सही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 02 अधिकृत व सक्षम है। घोषणा के जरिए पुनः स्थापित करवाने के वादी गण अधिकारी है जिसके लिए वाद प्रस्तुत किया। जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 13 के इंतकाल संख्या 260 दिनांक 29.07.2015 हिस्सा केशूराम बैंक रहन का नोट अंकित है। इसी तरह इंतकाल संख्या 276 दिनांक 09.07.2016 पप्पूराम के नाम की दुरूस्ती का नोट अंकित किया जा चुका है। परंतु खाता विभाजन का नोट अंकित नहीं किया गया है। जिससे रिकार्ड में भ्रम की स्थिति मात्र महावीर का खाता का इंतकाल सख्या 250 दिनांक 18.05.2015 का है जिसकी अनदेखी की गई है। वादीगण केशूराम के 2/3 हिस्सा में खसरा नम्बर 1 में तथा महावीर के खसरा नम्बर 1 में 1/3 हिस्सा के अनुसार तथा इसी तरह खसरा नम्बर 2/1 में प्रतिवादी पप्पूराम का 2/3 हिस्सा तथा महावीर का 1/3 हिस्सा विभाजन के अनुसार दर्ज करना चाहिए था मगर राजस्व विभाग की लापरवाही से हाल जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 250 के आधार पर अमल तथा इसी आधार पर नक्शा में तरमीम आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर रोही मौजा शरहबिछरवास जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या नया 13 पुराना 66 तादादी 9.71 है0 तथा खसरा नम्बर 2 तादादी 9.71 है0 कुल 19.42 है0 गै.मु. रास्ता 0.33 है0 का विभाजन खाता व लगान आपसी सहमति से पूर्व में आदेश क्रमांक 26 दिनांक 18.05.2015 से किया जा चुका है। तथा रिकार्ड राजस्व में

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

अमलदरामद इंतकाल संख्या 250 से किया जा चुका है। तदननूसार ही रिकार्ड राजस्व में घोषणा के जरिए पुनः स्थापना की जाकर वर्तमान रिकार्ड में वादी केशूराम पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 1/1 तादादी 6.37 है0 व रास्ता 0.10 है0 कुल 6.47 है0 लगान पूर्ववतः, महावीर पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 1/2 तादादी 6.48 है0 मय रास्ता 0.5 है0 तथा खसरा नम्बर 2/1 तादादी 3.18 है मय रास्ता 0.6 है कुल 6.48 है0 व प्रतिवादी पप्पूराम पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 2/6 तादादी 4.47 है0 मय रास्ता 0.12 है0 कुल योग 19.43 है0 का वर्तमान रिकार्ड में अंकन की घोषणा की जाकर इसी अनुसार नक्शा में तरमीम का अनुतोष चाहा गया।

वाद दर्ज कर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। प्रतिवादी स्टेट की ओर से इकबाल जवाबदावा पेश किया गया व वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी शरबिछरवास सम्वत 2068–71, 2072–75, नामान्तरकरण 250 दिनांक 18.05.2015 एवं नामान्तरकरण 276 दिनांक 21.09.16 पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा के मुताबिक राजिनामा के आधार पर दावा डिग्री करने हेतु निवेदन किया। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा पेश किया जा चुका है एवं रिकार्ड के अवलोकन से यह भी विदित हुआ है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व में इंतकाल संख्या 250 दिनांक 18.05.2015 के जरिए आपसी सहमति से खाते एवं लगान विभाजित होकर रिकार्ड में अंकन होने के बावजूद भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गई जमाबंदी में पुनः शामिल खाते में पुनः वादगत भूमि को दर्ज कर दिया गया है। अतः वाद वादी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा शरह बिछरवास के खाता संख्या 13 में पूर्व आदेश 18.05.2015 अनुसार वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 13 में केशूराम 1/3 हिस्सा महावीर 1/3 हिस्सा व पप्पूराम का 1/3 हिस्सा पृथक पृथक दर्ज करें व इसी अनुसार लगान कायम किया जाकर नक्शा में तरमीम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी केशूराम पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 1/1 तादादी 6.37 है0 व रास्ता 0.10 है0 कुल 6.47 है0 लगान पूर्ववतः, महावीर पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 1/2 तादादी 6.48 है0 मय रास्ता 0.5 है0 तथा खसरा नम्बर 2/1 तादादी 3.18 है मय रास्ता 0.6 है कुल 6.48 है0 व प्रतिवादी पप्पूराम पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 2/6 तादादी 6.47 है0 मय रास्ता 0.12 है0 कुल योग 19.42

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

है0 का वर्तमान रिकार्ड में अंकन की घोषणा की जाती है एवं वादी केशूराम का हिस्सा रहन बहक आरएमजीबी शाखा हंसेरा के नाम का अंकन पूर्ववतः जारी रखें। तद्नूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : शिवपाल जाट आरएएस

केशूराम आदि **बनाम** पप्पूराम आदि

दावा अंतर्गत धारा 88, 92ए, 207/53 आरटीए एवं 136एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 95/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री श्यामदीन पड़िहार एव वकील प्रतिवादी मोहम्मद शब्बीर** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शरह बिछरवास के खाता संख्या 13 में पूर्व आदेश 18.05.2015 अनुसार वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 13 में केशूराम 1/3 हिस्सा महावीर 1/3 हिस्सा व पप्पूराम का 1/3 हिस्सा पृथक पृथक दर्ज करें व इसी अनुसार लगान कायम किया जाकर नक्शा में तरमीम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी केशूराम पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 1/1 तादादी 6.37 है0 व रास्ता 0.10 है0 कुल 6.47 है0 लगान पूर्ववतः, महावीर पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 1/2 तादादी 6.48 है0 मय रास्ता 0.5 है0 तथा खसरा नम्बर 2/1 तादादी 3.18 है मय रास्ता 0.6 है कुल 6.48 है0 व प्रतिवादी पप्पूराम पुत्र मोडाराम खसरा नम्बर 2/6 तादादी 6.47 है0 मय रास्ता 0.12 है0 कुल योग 19.42 है0 का वर्तमान रिकार्ड में अंकन की घोषणा की जाती है एवं वादी केशूराम का हिस्सा रहन बहक आरएमजीबी शाखा हंसेरा के नाम का अंकन पूर्ववतः जारी रखें। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- .... बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-................ .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 29/8/19 ... को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner